महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

पत्रांक महा सु वि वि / सम्ब0 / 2023 / 592
दिनांक 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री पराशर ब्रह्म सुधाकर पाण्डेय दमयन्ती देवी इन्स्टीच्यूट ऑफ गर्ल्स एजूकेशनल,
रैकवारडीह, मऊ।

विषय:– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र–शून्य दिनांक 08.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ मे सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी ने **शासनादेश दिनांक. 09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010** एवं **25 नवम्बर 2013** के आलोक मे स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत अथवा अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद
1.	डॉ0 हरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री मुख राम सिंह	01.07.1974	पी–एच0डी0/नेट	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन, नेट प्रमाणपत्र/पी0एच–डी0 प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय
28.06.2023
(प्रो0 विजय कुमार राय)
कुलसचिव